

परिशिष्ट-तीन

आवेदन पत्र का प्रारूप

व्यवसाय का नाम
(जिसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है)
प्रति,

प्राचार्य/संस्था प्रमुख
आदर्श/महिला/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
(जिला) म0प्र0

1. नाम (आवेदक)
2. पिता/पति का नाम
3. माता का नाम
4. जन्मतिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
5. जाति (जो लागू हो उसे टिक/करें) UR/ SC/ ST/ OBC/ EWS
6. लिंग महिला/पुरुष
7. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता
8. म0प्र0 का मूल निवासी हॉ/नहीं
9. दूरभाष क्रमांक निवास स्थान मोबाइल नम्बर.....
10. क्या आवेदक विकलांग है हॉ/नहीं विकलांगता का प्रकार
11. पहचान पत्र पहचान पत्र क्रमांक

शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता

स0 क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय /संस्था का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक/प्राप्तांक	प्रतिशत	प्रमाण-पत्र क्रमांक
1						
2						
3						
4						
5						

अनुभव :-

स0 क्र0	आईटीआई/संस्थान का नाम एवं पता जहाँ कार्यरत रहे	पद का नाम जिस पर कार्यरत रहे	कब से	कब तक	प्राप्त वेतन प्रतिमाह
1					
2					
3					
4					
5					

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/ करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी पूर्णतः सही/सत्य है यदि उपरोक्त कोई भी जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
संलग्न:- प्रमाण-पत्रों की सूची

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

आवेदक का नाम/हस्ताक्षर

(92) प्रशिक्षण अधिकारी (अंग्रेजी आशुलिपि)	18	25
		<p>(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>(2) मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड या व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय परिषद/राज्य परिषद से 100 शब्द प्रतिमिनिट गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट में पॉलीटेक्निक से (100 शब्द प्रतिमिनिट से अंग्रेजी शीघ्रलेखन में) डिप्लोमा।</p> <p>(3) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT प्रगाण पत्र वैध स्कोर कार्ड, अंग्रेजी टायपिंग न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनिट के साथ. www.mpplr.com</p> <p>(4) निनलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए—</p> <p>क) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(ख) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(ग) डी.ओ.इ.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।</p> <p>(घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स।</p> <p>(ङ) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली (N.C.V.T.) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।</p> <p>उक्त मान्यतां प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अहता भी मान्य होगी—</p>

मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण हेतु दिशा-निर्देश

संचालनालय कौशल विकास, मध्यप्रदेश के अधीन संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITI) में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विस्तृत प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए मेहमान प्रवक्ताओं हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इन्हें कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल www.mpskills.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

1. विज्ञापन

क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों द्वारा अपने अधीनस्थ संचालित शासकीय आईटीआई में रिक्त पदों पर मेहमान प्रवक्ताओं की व्यवस्था हेतु मांग प्राप्त की जाएगी। तत्पश्चात संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा पोर्टल पर लॉग इन कर गेस्ट फैकल्टी मॉड्युल में "Add Vacancy" मेनु द्वारा समर्त प्राप्त रिक्त स्थानों की प्रविष्टि की जाएगी। समर्त प्रविष्टि उपरांत "Apply Roster" मेनु द्वारा प्रविष्टि की गयी सभी रिक्तियों पर नियमानुसार आरक्षण का पालन करते हुए आरक्षण अनुसार प्रत्येक (सीट) चिह्नित कर प्रविष्टि की जाएगी। व्यवसायों की पृष्ठियां उनके नामों के अल्फावेट क्रम में की जाएगी।

- म.प्र.सा.प्र. विभाग द्वारा जारी नवीनतम 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर दिनांक 24/12/2019 (मध्यप्रदेश राजपत्र सामान्य प्रशासन विभाग भोगाल दिनांक 24 दिसम्बर 2019) अनुसार आरक्षण, (जिसमें SC 10%, ST- 20%, OBC-27%, जार्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण दिया गया है)
- विभागीय भर्ती नियम अनुसार 50% पद इंजीनियरिंग डिग्री / डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों हेतु आरक्षण (यदि किसी संस्था में फिटर के 02 यूनिट संचालित हैं व 01 पद नियमित प्रशिक्षण अधिकारी (डिग्री / डिप्लोमाधारी) से भरा है तथा 01 पद रिक्त है, तो रिक्त पद पर डिग्री / डिप्लोमाधारी का आरक्षण लागू नहीं होगा। अतएव इस 01 रिक्त पद पर मेरिट अनुसार डिग्री / डिप्लोमा / आईटीआई धारी आ सकता है। इसके विपरित यदि 01 पद पर नियमित प्रशिक्षण अधिकारी (आईटीआई धारी) से भरा है, तो रिक्त पद डिग्री / डिप्लोमाधारी के लिए आरक्षित रहेगा। जहाँ 01 पद है वह डिग्री / डिप्लोमाधारी के लिए आरक्षित होगा तथा जहाँ विषम संख्या में 03 पद है वहाँ 02 पदों पर डिग्री / डिप्लोमाधारी का आरक्षण होगा।)
- महिलाओं के लिए 33% होरिजोन्टल आरक्षण।
- निःशक्तजनों के लिए 6% होरिजोन्टल आरक्षण (शासन के नवीन निर्देशानुसार अब 03 की जगह 04 प्रकार की निःशक्तता अधिसूचित की गई है।)

मेरिट अनुसार चयनित निःशक्तजन जिस श्रेणी (अनुजाति / अनु. जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनारक्षित) के होंगे, उसी श्रेणी की सीट पर इनका चयन होगा। अतएव पूर्व से निःशक्तजन की श्रेणी निर्धारित नहीं होती है, इसके लिए निःशक्तजनों का चयन सर्वप्रथम कर लिया जावे।

चौंक मेहमान प्रवक्ताओं की व्यवस्था संस्थाओं में तुरन्त ताक़ालीक रूप से करनी होती है। अतः महिला व निःशक्तजन उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर प्रदों को संबंधित श्रेणी के ओपन केटेगरी से सीटों को भरा जा सकेगा।

उपरोक्त समर्त प्रविष्टियों की पुष्टि होने के उपरांत "Lock" करना होगा। इस कार्यवाही के बाद संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर से विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। विज्ञापन में आवेदन की आरंभ तिथि, अंतिम तिथि एवं आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि का भी उल्लेख किया जावेगा। उक्त तिथियों के अनुसार संबंधित जोन हेतु आवेदन प्रक्रिया निष्पादित की जावेगी।

2. रिक्त पदों की आरक्षणवार जानकारी

रिक्त पदों की आई.टी.आई. वार एवं व्यवसाय-वार तथा आरक्षणवार जानकारी संयुक्त सचालकों के माध्यम से कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध होगी।

3. आवेदन शुल्क

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

4. आयु सीमा

न्युनतम 18 वर्ष, अधिकतम आयुसीमा 62 वर्ष होगी।

(तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र एफ-02-02/2022/42-2
भोपाल दिनांक 10/11/2023 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा 62 वर्ष होगी)

5. तकनीकी /शैक्षणिक अर्हताएँ

मेहमान प्रवक्ताओं की तकनीकी /शैक्षणिक योग्यता म0प्र0 औद्योगिक प्रशिक्षण अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2009 संशोधन दिनांक 26 सितम्बर 2018 की अनुसूची तीन के अनुसार होगी। शेष व्यवसायों की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता डीजीटी द्वारा निर्धारित, मान्य होगी।

6. ऑनलाईन आवेदन कैसे प्रस्तुत करें

ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की लिंक तथा आवेदकों की सहायता हेतु मार्गदर्शिका कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध होगी। आवेदक को पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन करने पर आईडी / पासवर्ड प्राप्त होगा जिसके द्वारा लॉगइन कर आवेदन भरा जा सकेगा। एक आवेदक के द्वारा सभी संभाग के लिए केवल एक ही आवेदन मान्य किया जावेगा, आवेदक को एक से अधिक संभाग की आईटीआई में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम वांछित क्रमानुसार संभाग (Zone) का चयन करना होगा तत्पश्चात संबंधित संभाग में संचालित आईटीआई का चयन किया जा सकेगा।

आवेदन हेतु आवेदक को मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए आवेदक द्वारा पंजीकरण करते समय श्रेणी (UR/OBC/ SC / ST / EWS, होरिजेन्टल केटेगरी महिला / निःशक्तजन) एवं आवेदन में चयन की गयी अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता (Base Qualification) का चयन करना होगा। आवेदक की एक से अधिक अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता होने पर आवेदन को लॉक करने से पूर्व Base Qualification बदल कर Choice Filling हेतु उपलब्ध स्थान देखे जा सकते हैं, आवेदक इस हेतु पुष्टि करने के उपरांत ही आवेदन लॉक करें, लॉक करने के उपरांत किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा ना ही दूसरा आवेदन भरा जा सकेगा।

7. आई.टी.आई. एवं व्यवसाय (ट्रेड) की वरीयता

मेहमान प्रवक्ताओं के चयन में आई. टी. आई. एवं व्यवसाय का आवंटन मेरिट एवं आवेदक द्वारा दर्शित वरीयता क्रम में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुसार किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन में आवेदक को अधिकतम 15 (पन्द्रह) स्थानों को वरीयता क्रम में चुनने के अवसर प्राप्त होंगे।

8. आवेदन की जांच एवं प्रमाणीकृतरण

आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन की पोर्टल से जनरेटेड प्रति एवं संबंधित दस्तावेज किसी भी शासकीय आईटीआई में निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर सत्यापित कराने होंगे।

आवेदकों के आवेदन सत्यापन हेतु आईटीआई के कर्मचारी (जिसे आईटीआई लॉग इन द्वारा गेस्ट फैकल्टी वेरिफिकेशन का रोल संबंधित संयुक्त संचालक / प्राचार्य द्वारा असाइन किया हो) द्वारा सत्यापन उपरांत पोर्टल में प्रमाणीकरण की जानकारी दर्ज की जावेगी। सत्यापन हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन एवं संबंधित सह दस्तावेज के दो सेट प्राप्त कर ऑनलाईन आवेदन में दी गयी जानकारी का मिलान दस्तावेजों से किया जावेगा, समस्त जानकारी का मिलान होने पर आवेदन का अनुमोदन / मिलान ना होने पर रिजेक्ट पोर्टल पर (आवेदक के समक्ष ही) दर्ज किया जावेगा तथा सत्यापन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर कर एक प्रति आवेदक को प्रदान की जावेगी।

आवेदन के प्रमाणीकरण की पुष्टि ऑनलाईन दर्ज होने पर ही पंजीकृत आवेदन मान्य होगा। अतः समस्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय पूर्ण सावधानी रखें एवं त्रुटिपूर्ण / असत्य जानकारी ना देवें। आवेदक द्वारा असत्य जानकारी देने की दशा में आवेदक पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

9. वरीयता सूची का प्रकाशन

ऑनलाईन गेस्ट फैकल्टी प्रक्रिया में केवल वरीयता सूची का प्रकाशन किया जावेगा पृथक से कोई भी चयन सूची का प्रकाशन नहीं किया जावेगा। विज्ञापन अनुसार आईटीआई - वार एवं व्यवसाय-वार प्रत्येक पद हेतु वरीयता सूची (जिसमें केवल वे आवेदक होंगे जिन्होंने निर्धारित समयावधि में आवेदन का सत्यापन कराया हो) पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक को व्यवसाय से संबंधित शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा / डिग्री अथवा आई.टी.आई. व उच्च अर्हता तथा अनुभव के आधार पर मार्किंग निम्नानुसार होगी:-

SN	Component	Description	Weightage
1.	शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता	इंजी. डिप्लोमा / डिग्री अथवा आई.टी.आई. के प्रतिशत का पूर्णांक $\times 07$	अधिकतम 70 अंक
2.	उच्चतर योग्यता	(ATI / CTI /ITW/ITOT/RPL) से अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण	03 अंक
		संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग (पॉलिटेक्निक) डिप्लोमा	02 अंक
		संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग स्नातक/ स्नातकोत्तर	05 अंक
		स्नातकोत्तर (एमई./ एम.टेक.) हेतु अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं होगा।	---
3.	अनुभव	शासकीय आईटीआई या NCVT से मान्यता प्राप्त आईटीआई में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रति वर्ष 4 अंक (छ: माह से कम हेतु 0 अंक, छ: माह से एक वर्ष तक 4 अंक)	अधिकतम 20 अंक

नोट:-

- उच्चतर अर्हता में से यदि किसी अर्हता को विहित अर्हता (Base Qualification) माना गया हो तो उस उच्चतर अर्हता के अतिरिक्त अंक प्राप्त नहीं होंगे।

10. कार्यग्रहण

संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा प्रथम चरण द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण के स्थानों पर कार्यग्रहण हेतु अंतिम तिथि पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी। वरीयता सूची में प्रथम स्थान के आवेदक निर्धारित तिथि तक संबंधित आईटीआई में आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं दो सेट छायाप्रति लेकर कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हो सकते हैं। यदि किसी आवेदक का एक से अधिक स्थानों की वरीयता सूची में प्रथम स्थान है ऐसी दशा में वे किसी भी एक स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण कर सकते हैं, एक स्थान पर कार्यग्रहण करने पर अन्य स्थानों पर से उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो जावेगी तथा वरीयता क्रम में अगले आवेदक को कार्यग्रहण हेतु उपस्थित होना होगा।

प्रथम चरण में वरीयता क्रमानुसार संबंधित आवेदक द्वारा कार्यग्रहण ना करने पर अगले चरण में अगले आवेदक को कार्यग्रहण हेतु उपस्थित होना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण ना करने पर उम्मीदवारी समाप्त हो जावेगी। तीनों चरणों के उपरांत भी स्थान रिक्त होने की दशा में आईटीआई द्वारा वरीयता सूची के आवेदकों को क्रमानुसार कार्यग्रहण हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

कार्यग्रहण किये आवेदकों द्वारा त्यागपत्र देने की दशा में वरीयता सूची से आवेदकों को क्रमानुसार कार्यग्रहण हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। वर्तमान विज्ञापन की प्रक्रिया में आवेदित आवेदकों की वरीयता सूची प्रथमतः छ: माह तक वैध होगी जिसे आवश्यकतानुसार आगामी छ: माह तक वृद्धि की जा सकेगी। संबंधित आईटीआई द्वारा आवश्यकतानुसार वरीयता सूची के आवेदकों को क्रमानुसार कार्यग्रहण हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

आईटीआई में आवेदकों के कार्यग्रहण की जानकारी आईटीआई के लॉग इन द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जावेगी, इस हेतु प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा किसी भी एक कर्मचारी को नामांकित किया जावेगा, नामांकित कर्मचारी द्वारा आवेदकों के

आवेदन एवं संबंधित दस्तावेजों का मूल दरतावेजों से परीक्षण कर एक रोट छायाप्रति आईटीआई में जमा कर पोर्टल पर आईटीआई के लांग इन से गेस्ट फ़ेकल्टी मॉड्युल में आरक्षण अनुसार कार्यग्रहण की सूचना (आवेदक के समक्ष ही) दर्ज की जायेगी।

आईटीआई में स्थानान्तरण / नवीन पदस्थापना तथा अन्य कारणों से विज्ञापन में दिए पद भरे जा सकते हैं, अतः वरीयता सूची के आवेदक सूची प्रकाशन के पश्चात संबंधित आईटीआई में रागय-सीमा में उपस्थित होकर इस बाबत पुष्टि कर लेवें कि पद रिक्त है अथवा नहीं, पद रिक्त ना होने पर वरीयता अनुसार अन्य आईटीआई से संपर्क कर कार्यग्रहण करें।

नियमित प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति/स्थानान्तरण या पदोन्नति आदि से पद की पूर्ती होने की स्थिति में कार्य ग्रहण करने के मान से कनिष्ठ मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जावेगा।

11. मानदेय

ट्रेड एवं ड्राइंग/गणित के पद हेतु अधिकतम रु.20,000/- प्रति माह

$$\text{मानदेय} = \frac{\text{उपस्थित दिवस की संख्या}}{\text{माह के कुल कार्य दिवस की संख्या}} \times 20,000 \text{ (₹)}$$

12. कार्य अवधि

अधिकतम 11 माह अथवा सत्र समाप्ति तक अथवा नियमित पदस्थापना/स्थानान्तरण अथवा अन्य शासकीय कारणों से पद भरे जाने तक।

13. मेहमान प्रवक्ताओं के चयन संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ क्षेत्रीय संयुक्त संचालक अपने मार्गदर्शन में संपादित करायेंगे तथा संस्था स्तर पर यदि कोई समस्या होती है तो उसका निराकरण क्षेत्रीय संयुक्त संचालक अपने स्तर से करेंगे।